

12.01.17

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर कोई उपस्थित नहीं।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।
प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल।
प्रतिवादी क्रमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।
प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी साक्ष्य अनुपस्थित है।
सांय 5 बजे तक वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ
परिणामस्वरूप आदेश 17 नियम 3(बी), 2 सी.पी.सी. के अधीन अग्रपक्षित होते
हुए आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन वाद वादी की अनुपस्थिति में
निरस्त किया जाता है।
व्यय तालिका बनायी जावे।
प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

सही /—
गोपेश गर्ग
1-सी.जे.-2, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रति (पि)
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अनान्य)